

**कार्यपालक अभियंता, का कार्यालय**  
**सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ (कैमूर)**  
**प्रेस विज्ञप्ति**

पत्रांक .....७५१...../

भभुआ,

दिनांक .....२६/०५/२०२६

कैमूर जिला अन्तर्गत ग्राम-खड़ौरा, थाना नं०-३१२, अंचल-चैनपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सोन कोहिरा लिंक सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु निम्न भूमि का टुकड़े जो माप से १ एकड़ ८९.२५ डी० के बराबर होता है, को बिहार राज्य रैयती लीज नीति २०१४ के तहत सतत लीज पर लिया जाना है। भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	रैयतधारी का नाम/पिता का नाम	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा(डी० में)
०१	सिराजुद्दीन खाँ वो रियासत हुसैन उर्फ रियाजुद्दीन खाँ, पिता-दिवान मुनीस खाँ, सा०-नौघरा	४४	१४	९.००
०२	इसरार खाँ वो इस्तियाज खाँ वो इलियास खाँ, पिता-यूनुस खाँ, सा०-नौघरा	४४	१४	९.००
०३	आसमा खातून, पति-इसलाम खाँ, सा०- नौघरा	४४	१४	९.००
०४	रूही खातून, पति-मो० जमा खाँ, सा०-नौघरा	१०३	१०	४०.००
०५	सूर्यवंश राय, पिता-सुमेर राय, सा०-नौघरा	१०३	१०	५५.००
०६	दिवान कौशर खाँ, पिता-दिवान सोहराब खाँ, सा०-नौघरा	१०३	१०	३१.२५
०७	दिवान मसरूर खाँ, पिता-दिवान सोहराब खाँ, सा०-नौघरा	४४	१४	३६.००

कॉलम (२) में अंकित रैयतो से अनुरोध है कि इस नोटिस के प्रकाशन होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर बिहार रैयती भूमि लीज नीति २०१४ के प्रावधानान्तर्गत सतत लीज पर भूमि प्रदान करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह सूचना जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई दावा-आपत्ति हो तो इस सूचना के अनुसार पत्र में प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर अपना दावा आपत्ति लिखित रूप में साक्ष्यों के साथ कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा भविष्य में कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

*(हस्ताक्षर)*  
२६/०५/२६  
(ई० अखिलेश कुमार)  
कार्यपालक अभियंता,

*मास्टर*  
२६-०५-२६  
सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ।